दिनांक 08.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 10/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>पदोन्नति प्राप्त पुलिस अधिकारियों की पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony)</u>

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 08.11.2024 को पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार में सेलेक्ट लिस्ट–2023 के पदोन्नति कोटे में कुल रिक्ति पद के सापेक्ष प्रान्तीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों की **पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony)** की गयी।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony) में उपस्थित पुलिस मुख्यालय में नियुक्त श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, श्री लाल भरत कुमार पाल, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती अमृता मिश्रा व श्री अजय प्रताप को रैंक लगाया गया एवं पदोन्नति पाये समस्त 22 पुलिस अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक व अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उपस्थित रहे।

सत्यमेव जयते

AJAY PRATAP

दिनांक 08.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 11/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 होर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2024 को थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कानपुर–इटावा हाइवे पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनोज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 होर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मनोज निवासी रेउरी थाना सचेण्डी कानपुर नगर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 होर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल आदि।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना चिनहट</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2024 को थाना चिनहट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नंदपुर मार्ग के पास से 03 अभियुक्तों 1—रहमान 2—अल्ताफ उर्फ कल्लू 3—नौशाद उर्फ गोल्डन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.11.2024 को थाना चिनहट क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चिनहट पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रहमान के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, अयोध्या व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त अल्ताफ उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद अयोध्या व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चिनहट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रहमान निवासी सफीनगर थाना रूदौली जनपद अयोध्या, हालपता छोहरिया माता मन्दिर के पास थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ।

2–अल्ताफ उर्फ कल्लू निवासी सफीनगर थाना रूदौली जनपद अयोध्या, हालपता सतरिख रोड देशी शराब ठेका के पीछे थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ।

3–नौशाद उर्फ गोल्डन निवासी ग्राम किन्तुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी, हालपता सतरिख रोड देशी शराब ठेका के पास थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी के सोने के आभूषण आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **नगद रूपये**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 08.11.2024 को थाना हथगांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बिसुई नहर पट्टी के पास बाग में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–इलियास घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अफसर अली सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, नगद रूपये, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त इलियास के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हथगांव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इलियास निवासी रामपुर मुआरी थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

2–अफसर अली निवासी रामपुर मुआरी थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–नगद रूपये।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना अंकुर विहार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्ता गिरफ्तार**
- **चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रॉयल गार्डन के पास से 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.10.2024 को थाना अंकुर विहार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 03 लाख 70 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद मेरठ/थाना मवाना

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 07.11.2024 की रात्रि थाना मवाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिगरी अन्डर पास के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आकाश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आलोक 3–गोपाल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मवाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी झण्डे वाला मन्दिर पहाड़गंज मध्य दिल्ली।

2–आलोक निवासी झण्डे वाला मन्दिर पहाड़गंज मध्य दिल्ली।

3–गोपाल निवासी झण्डे वाला मन्दिर पहाड़गंज मध्य दिल्ली।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शामली/थाना थानाभवन

- **02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 60 ग्राम अवैध अफीम व 131 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 07/08.11.2024 को थाना थानाभवन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम उस्मानपुर पुलिया के पास से मादक पदार्थ की

तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–माधु कुमार 2–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 60 ग्राम अवैध अफीम व 131 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–माधु कुमार निवासी ग्राम सारण थाना गंगवार जनपद चित्तौडगढ़ राजस्थान।

2–दीपक निवासी ग्राम तुम्बडीया थाना साडास जनपद चित्तौडगढ़ राजस्थान।

बरामदगी

1–लगभग 35 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 60 ग्राम अवैध अफीम व 131 ग्राम अवैध स्मैक।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा आदि बरामद**

दिनांक 07.11.2024 को थाना सेक्टर–20 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंगा शॉपिंग काम्पलैक्स के पास से अभियुक्त देवराज उर्फ देवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवराज उर्फ देवा निवासी सलारपुर थाना सेक्टर–39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 50 किलोग्राम अवैध गांजा आदि।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **101 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 08.11.2024 को थाना खेकडा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डूण्डाहैडा बैरियर के पास से अभियुक्त सुमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 101 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुमित निवासी शाहबाद मोहम्मदपुर थाना द्वारका नई दिल्ली।

बरामदगी

1—101 पेटी अवैध शराब।

2—घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

- **जनपद हाथरस/थाना चन्दपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना चन्दपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/452/307/302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—रामप्रसाद उर्फ लम्पा 2—कैलाश 3—छिंग्गा 4—राजू 5—रिंकू 6—आशिक अली 7—मंगली 8—पप्पी को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड तथा अभियुक्त 1—कैलाश 2—रामप्रसाद उर्फ लम्पा को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01—01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01—01 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना एका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बाथू उर्फ गुलफाम को आजीवन कारावास व 75 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सलीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना पुवांया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना पुवांया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरजीत को 10 वर्ष के कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना रूधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना रूधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शमशाद को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना बादलपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सतीश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर गौ–तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं जनपद बलरामपुर से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके गिरफ्तार।</u>

दिनांक 07–11–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना गैसडी, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके पुत्र जुम्मन को थानाक्षेत्र तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1. गुलाम वारिस उर्फ चिनके पुत्र जुम्मन, निवासी ग्राम बभनपुरवा, थाना कोतवाली, गैसडी, जनपद बलरामपुर।

<u>बरामदगीः–</u>

1. 01 अदद मोबाइल फोन ।
2. 1000 रूपये नकद।
3. एक अदद डेबिट रूपे कार्ड।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–</u>

चीनी मिल जरवा के समीप, थानाक्षेत्र तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर। दिनांकः 07–11–2024, समय 17.30 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिय जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 07–11–2024 को उप निरीक्षक श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अंजनी यादव, मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, मुख्य आरक्षी राजकुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी महेश कुमार पाण्डेय एवं मुख्य आरक्षी चालक मनोज कुमार यादव की टीम जनपद बलरामपुर में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इस दौरान जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि थाना गैसडी, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में वांछित एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके पुत्र जुम्मन के तुलसीपुर से जरवा जाने वाली रोड पर चीनी मिल के पास खड़ा है तथा कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा तुलसीपुर से जरवा जाने वाली रोड पर चीनी मिल के पास पहुँचकर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके पुत्र जुम्मन ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले काफी समय से गौ–वंशीय पशुओं की तस्करी का काम करता है। यह अपने साथियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित अन्य प्रदेशों के भी गोवंशी पशुओं को खरीदकर बिहार, बंगाल आदि राज्यों में उसकी सप्लाई करता है। मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना गैसडी, जनपद बलरामपुर, में वांछित एवं ईनामी होने के उपरान्त मुम्बई में रहने लगा था। एक सप्ताह पहले मुम्बई से आकर यहॉ पर छुपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके पुत्र जुम्मन को थाना गैसडी, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त गुलाम वारिस उर्फ चिनके उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः—

क्र0 सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	122／11	41／109 सीआरपीसी	थाना गैसडी	बलरामपुर
2	NCR 30/15	323／504 भा0द0वि0	थाना गैसडी	बलरामपुर
3	712／16	41／109 सीआरपीसी	थाना गैसडी	बलरामपुर
4	792／16	60 आ0 अधिनियम	थाना गैसडी	बलरामपुर
5	26／19	323／504／506 भा0द0वि0	थाना गैसडी	बलरामपुर
6	27／23	3／5／8 गोवध निवारण अधिनियम	थाना गैसडी	बलरामपुर

————————